




शेराज क्लब परगना

क्र. सं.	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28 ¹¹ / ₂	<p>पत्रावली आज दिनांक 28/11/2022 को पेश हुई। वि. नं. 1/2022 को जयपुर द्वारा कानून से जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/12/22 को पेश हो।</p>
	5 ¹ / ₂₀₂₃	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील प्राची उपस्थित अप्राची 1, 3 ने जवाब नों हेतु जल्प चाहा अप्राची संख्या 2, 4, 5, 6 खण्ड तामिल अनुपस्थित है आ.ता. पेशी पर अनुपस्थित रहे पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी पत्रावली कलम नं. इतना अप्राची वि. नं. 1/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सह. लक्कर आ.ता. नं. प्रथम </p>
	1 ² / ₂₀₂₃	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील प्राची व अप्राची संख्या 1, 3, 9 उपस्थित अप्राची संख्या 1, 3 ने कलम खण्ड नं. के बाद भी जवाब पेश नहीं किया है अतः कलम खण्ड नं. 1, 3, 9 को निलंबित किया जाता है अप्राची संख्या 2, 4, 5, 6 आ.ता. नं. अनुपस्थित है अतः कलम के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>प्राची व अप्राची संख्या 1, 3, 9 की आ.ता. नं. न्याय निकाय पर लक्ष मुनी गई अप्राची की अवस्था है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर आ.ता. नं. प्रथम </p>

फर्द अहकाम

विशेष कि

की प्राप्ति		पट्टा का नं०	
यायालय		डिस्ट्रिक्ट नं०	
	<u>मसौदा</u> बनाम <u>प्राप्ति</u>		
कदमा संख्या / वर्ष	: 19 / 20 20		


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>प्रा०प० अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी किया। प्रा०प० 151 व 152 में प्राप्ति ने अंकित किया है कि उक्त में दिनांक 19/2/2020 को अनारिज नं० जारी की गई है जिसे कोर्ट में सहवहन से 2020 की जगह 2019 अंकित हो गया है। अतः टी. आर. कोर्ट में 2019 की जगह 2020 किया जाके पञ्चाली का अल्लोकन किया गया। अल्लोकन से स्पष्ट है सहवहन से 2020 की जगह 2019 कोर्ट में अंकित हो गया है अतः प्रा०प० 151 व 152 सीपीसी स्वीकार किया जाके अनारिज कोर्ट दिनांक 19.2.2019 की जगह लाल पेन से 19.2.2020 लिखा-पढ़ा जाके के कोर्ट दिने जाते है।</p> <p>उक्त पक्ष की प्रा०प० अस्मादिनिषेधावापर लक्ष सुनी गई। प्राप्ति की दायवता ने विवेक किया की प्राप्ति को पार करने का प्रयत्न है पार नहीं किया गया तो वाद के उद्देश्य खत्म हो जावेगा। प्राप्ति संख्या-9 के दायवता ने दौरोके लक्ष कथन किया की हमने कृषि भूमि खरीदी है तथा उसका नामा-तकरण नहीं हुआ है चुकी वादग्रस्त सारागी में स्थान कोर्ट है। अतः प्राप्ति संख्या-9 को नामा-तकरण सुलको की अनुमति देते हुए</p>	


 सहायक जज
 अमेर 20 जयपुर

न्यायालय लक्ष्मण कल्याण और मु. जयपुर

19/2020 (II)

सरोज | जजरी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>दुरु पावः किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पञ्जवली का ० अक्लोकन किया गया। वाद खंरवोर से संबंधित है। पञ्चकारण के मध्य खंरवोर का सद्भाविक विवाद है अतः पञ्चकारण के आदेश दिनांक 19-2-2020 को जारी अनन्तरिम स्वयंन आदेश के मूलवाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है परन्तु अपाकी संख्या-9 द्वारा गामान्तकरण करवाने पर स्वयंन औरेश प्रभावित नहीं होगा।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पञ्जवली फैमल शुभा होकर दारिद्र्य पत्रार है।</p> <p></p> <p>न्यायालय कलक्टर और मु. जयपुर</p>	